न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलास श्री सौरभ भाम्बु (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 42/2025/प्रार्थना पत्र/बउनवान/अजीत सिंह बनाम रामचरण वगै0
जीसीएमएस संख्या 2025/234

1. अजीत सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भावगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

1. रामचरण पुत्र सीताराम जाति मीणा निवासी ग्राम भावगढ़ तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील मांगरोल जिला बारां राज.

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

वकील प्रार्थी : श्री मनोज कुमार गालव
वकील अप्रार्थी : एकतरफा
दायरा दिनांक: 19.06.2025 **निर्णय दिनांक : 23.01.2026**

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि प्रार्थी ग्राम भावगढ़ का शांति प्रिय काश्तकार है, प्रार्थी के तन्हा खाते की आराजी वाके ग्राम भावगढ में खाता संख्या 85 में खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में दर्ज है जिस पर प्रार्थी एंव उसके पूर्व प्रार्थी के नाना वर्षों से लगातार काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे हैं।
2. यह कि प्रार्थी/अप्रार्थी भी ग्राम भावगढ का अनूसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति है, एंव प्रार्थी के ग्राम भावगढ़ की भूमि का समीपस्थ काश्तकार है। प्रार्थी की पश्चिम दिशा में प्रार्थी की मेड से लगवां अप्रार्थी रामचरण के खाते की आराजी खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 406/144 रकबा 0.77 हैक्टर स्थित है, इस प्रकार प्रार्थी व रामचरण अप्रार्थी एक दुसरे की आराजी के वर्षों से मेडी है ओर प्रार्थी के पश्चिम दिशा में दोनों की भूमियां उत्तर से दक्षिण लम्बाई में समानान्तर है।
3. यह कि प्रार्थी का खेत उँचाई पर है एंव अप्रार्थी रामचरण का खेत पश्चिम दिशा में नीचा है अप्रार्थी धीरे–धीरे हर वर्ष प्रार्थी की मेडों को काटता है ट्रैक्टर व हकाई मशीन से हर साल प्रार्थी का खेत मेड काटकर अपने खेत में मिलाता जा रहा है. प्रार्थी के ऐतराज के बावजूद जबरन पश्चिम दिशा से करीब 5 मीटर चौडाई एंव 70 मीटर करीब चौडाई में 0.12 हेक्टर (पौन बीघा) जमीन पर 2 वर्षों के भीतर कब्जा कर लिया है और कब्जा करता चला आ रहा है. प्रार्थी हाल रोजगार के लिये नगर कोटा में निवास कर रहा है और प्रतिप्रार्थी रामचरण हमेशा लडाई झगडा पर आमादा हो जाता है और पेमायश कराने के लिये कहता है और बाद में नपवा कर अपनी आराजी को छोड़ने के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

लिये कहता है प्रार्थी व उसका परिवार शांतिप्रिय व्यक्ति है और किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं चाहते थे ।

4. यह कि अप्रार्थी कम–1 के मन में बदनियत है, और लगातार प्रार्थी के खेत में मेडों को काटकर अपने खेत में मिला रहा है और प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर के आशिंक भाग को अपने खेत में मिलाकर जबरन बलपूर्वक पिछले वर्ष ट्यूबवैल भी करवा ली है. प्रार्थी ने अप्रार्थी कम–1 से मना किया कि तुम पैमायश भी नहीं करवा रहे हो और मेरी भूमि में नलकुप भी लगवा लिया है किन्तु प्रतिप्रार्थी किसी की नहीं सुनकर लडाई–झगडा पर आमादा हो गया अभी कुछ समय पूर्व अप्रार्थी रामचरण द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर दक्षिणी हिस्से में नीवें खोदकर के भरवा ली है और बलपूर्वक जमीन से 4–5 फीट उपर प्लीन्थ लेवल तक आ चूकी है अप्रार्थी कम–1 का दादागिरी पूर्ण रवैय्या है और आशिक कब्जा करने के पश्चात सम्पूर्ण भूमि भी कब्जा कर सकता है।
5. यह कि प्रार्थी अपनी भूमियों की कई बार पैमायश करवा चुका है। प्रतिप्रार्थी का कहना है "कि मेरी जमीन कम है, मैं तो यहीं पर ही काश्त करूंगा, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो" एंव लगातार लडाई झगडा कर मारने काटने की धमकियां दे रहा है। प्रार्थी की उपरी भूमि पश्चिम दिशा से करीब पोन बीघा (0.12है0) भूमि पर शनै–शनै कब्जा कर लिया है, प्रतिप्रार्थी किसी भी प्रकार से मानने को तैयार न होकर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। वाद पत्र के साथ राजस्व नक्शा, जमाबन्दी व पैमायश रिर्पोट प्रस्तुत की जा रही है।
6. यह कि प्रार्थी सीधा–सादा गरीब व्यक्ति है अप्रार्थी से लडने–झगडने में असमर्थ है, प्रार्थी के पास मात्र खेती करके आजीविका का ही एक मात्र साधन है ओर इसी से अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता है अप्रार्थी लडाकु व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है अपनी भूमियों की कमी को जबरन प्रार्थी की भूमि से पूर्ति करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी बार–बार अप्रार्थी रामचरण से कह चूका है कि मेरी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लो और हल्का पटवारी व कानूनगों ने भी पैमायश करके तुम्हे तुम्हारी भूमि भी बता दी है दिनांक 27/05/2025 को हल्का पटवारी द्वारा समीपवर्ती काश्तकार व रुबरु गवाहन पैमायश भी की जा चूकी है, पटवार मण्डल बालून्दा की सीमाज्ञान रिपोर्ट में भी भूमि की निशानदेही कर आंशिक भाग पर अप्रार्थी रामचरण .का कब्जा होना बताया गया था ।
7. यह कि अप्रार्थी कम–1 को कोई कानूनी अधिकारात प्रार्थी की कृषि भूमि में दखल अन्दाजी व बेजा मदालखत करने का हासिल नहीं है तथा प्रार्थी जर्ये बेदखली डिक्री से बेदखल कराने का एंव अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी है। क्योकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के खाते की आराजी है। अप्रार्थी कम 1 जबरन ताकत के बल पर बिना विधि पूर्वक किसी अधिकार के जबरन खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर पर अवैध कब्जा कर लिया है व अन्य भाग पर भी कब्जा करने एंव मकान निर्माण पर आमादा है इसके लिए अविलम्ब अस्थायी निषेधाज्ञा व बेदखली की डिक्री पारित कराया जाना व जर्ये पुलिस इमदाद तहसीलदार मांगरोल की उपस्थिति में कब्जा दिलवाया जाना भी आवश्यक हो गया है तथा अवैध अतिचार कर किये गये निर्माण को भी अपने खर्चे पर निषेधाज्ञा से हटवाया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी को जमीन पर काश्त करने पर हाथ पैर तोडकर जान से मारने की धमकी दे रखी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थी कम–1 ता–फैसला वाद एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करे कि अप्रार्थी कम–1 बलपूर्वक प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्बु)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

खसरा नम्बर 143 ग्राम भावगढ में निर्माण न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखे, कब्जा न करे, बेजा मदालखत न करे किसी प्रकार का अवैध अतिचार न तो स्वंय करे न ही अपने विधिक प्रतिनिधि से करावे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वह भी प्रार्थी को प्रदान करे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन् तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 द्वारा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस वकील प्रार्थी सुनी। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सम्पुर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आराजी वाके ग्राम भावगढ में खाता संख्या 85 में खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर में निर्माण न करने, मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं अवैध अतिचार न करने बाबत् अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। उक्त वर्णित आराजियात पर प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार हैं। अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी के खाते की आराजी की मेड काटकर जबरन कब्जा करने एवं निर्माण कार्य कराने पर आमादा है। अनावश्यक वादकरण को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : यदि अप्रार्थी कम 1 द्वारा भूमि को खुर्द–बूर्द किया जाता है तो प्रार्थी को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।
3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों एवं राजस्व रिकोर्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी कम 1 आराजी वाके ग्राम भावगढ में खाता संख्या 85 में खसरा नम्बर 143 रकबा 0.38 हैक्टर आराजी में किसी भी प्रकार से कब्जा व निर्माण कार्य नहीं करे एवं ना ऐसा अपने प्रतिनिधि से करावें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

(सौरभ भाम्ब)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

सौरभ भाम्ब (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल